भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: बिजनौर
3.	ग्राम	: हसनपुर सोंधली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-2-

4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	: भूमि खसरा संख्या-41, 49
5.	मापन की इकाई	: हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.652 हेक्टेयर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	: नहीं
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	: नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	: रु0 16,74,010/-
11.	मालियत	: रु0 8,96,010/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12. स्टाम्प : रू0 1,67,500/-

चौहद्दी

खसरा नं0 41

पूरब : खसरा संख्या-44

पश्चिम : खसरा संख्या-40

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 457532

उत्तर : खसरा संख्या-44

दक्षिण : खसरा संख्या-44

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 487459

खसरा नं० 49

पूरब	खसरा संख्या–52
पश्चिम	खसरा संख्या–50

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH E 433465

उत्तर : खसरा संख्या–48

दक्षिण : खसरा संख्या–51

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 483467

प्रथम पक्ष की संख्या-01 द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
चन्द्र शेखर पुत्र श्री गोपाल निवासी- ग्राम हसनपुर खेवली, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय - कृषि	:	अतुल वर्मा पुत्र श्री शिव रतन लाल निवासी-सी-32, सेक्टर-जे, अलीगंज, लखनऊ। व्यवसाय - कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 483466

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख धन्ना शंकर पुत्र श्री मंगल निवासी–ग्राम हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवम्

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 467457

अतुल वर्मा पुत्र श्री शिव रतन लाल निवासी–सी–32, सेक्टर–जे, अलीगंज, लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 487450

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या-41 रकबा 0.038 हेक्टेअर, भूमि खसरा संख्या-49 रकबा 0.614 हेक्टेअर कुल दो किता व कुल रकबा 0.652 हेक्टेअर, स्थित-ग्राम- हसनपुर खेवली, परगना- बिजनौर,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 487267

तहसील व जिला लखनऊ, की मालिक, कामिल व काबिज हैं तथा उपरोक्त सत्यापित पंचवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00047 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 457347

को हो गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सम्पूर्ण भूमि की मालिक, काबिज व दाखिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करती है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रेता ने उक्त भूमि विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद या वस्तु विषय नहीं है, न

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ही कुएं इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

फलस्वरूप रु0 16,74,010/- (रुपया सोलह लाख चौहत्तर हजार दस मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित तिथि के अनुसार भुगतान कर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 457604

दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तद्नुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 457605

को यलाई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 500360

को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH G 500361

में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता को

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

487611

स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण जैसा भी उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 500875

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति को दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों मे अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगें, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर खेमली अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु0 13,75,000/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 487734

0.652 हेक्टेअर की मालियत रू0 8,96,000/- होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 1,87,500/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 487606

राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 500362

<u>परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण</u>

भूमि खसरा संख्या–41 रकबा 0.028 हैक्टेअर, भूमि खसरा संख्या–49 रकबा 0.614 हैक्टेअर कुल दो किता

भारत

५०० रु. Rs 500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

व कुल रकबा 0.652 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम- हसनपुर खेवली, परगना- बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

५०० रु.

भारत

R 500

पांच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेता ने रू0 16,74,010/- (रूपया सोलह लाख चौहत्तर हजार दस मात्र) द्वारा चैक

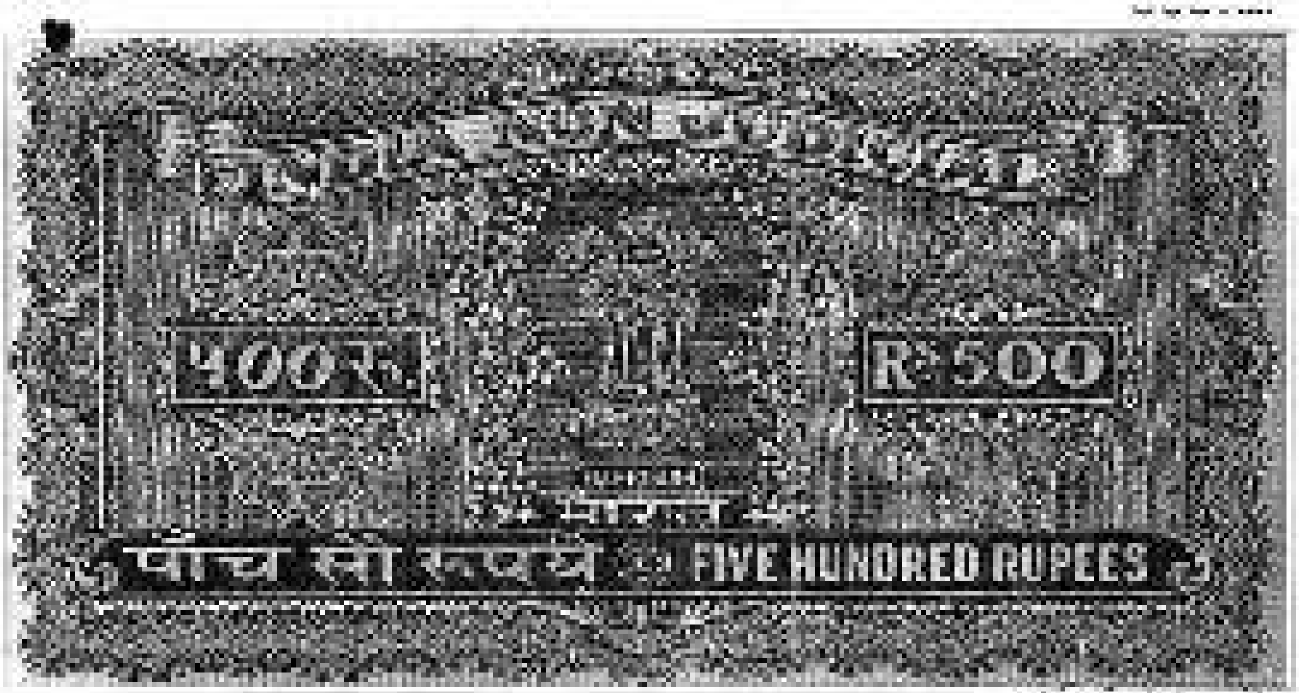

संख्या- [illegible] दिनांकित 28.02.2007

पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ,

क्रेता से प्राप्त किये।

५००रु. R.500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 16,74,010/- (रूपया सोलह लाख चौहत्तर हजार दस मात्र) विक्रेता ने

बही सं. .... रजिस्ट्रेशन सं. ....
जिल्द ....
पृष्ठ ....
......
आज ....

शुल्क पत्र

1,674,011.64	997,000.00	5,000.00	40	5,040.00	2,000
[illegible]	[illegible]	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible] लखनऊ

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 28/2/2007 समय 6:42PM बजे निबंधन हेतु पेश किया

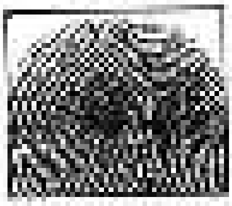

के.के. शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
28/2/2007

[illegible]

विक्रेता
श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible] लखनऊ

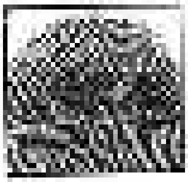

क्रेता
श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible] लखनऊ

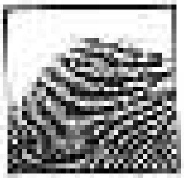

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible] लखनऊ
व श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible] लखनऊ
ने की ।

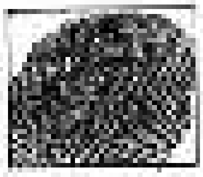

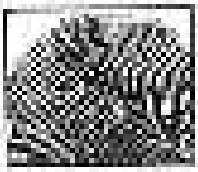

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं ।

के.के. शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
28/2/2007

क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

नोट : पृष्ठ संख्या–26पर चेक संख्या पेन से लिखी हैं।

लखनऊ

दिनांक: 28.02.2007

गवाह

1.

विक्रेता

2.

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अनवर हुसैन)

एडवोकेट

क्रमांक [illegible] पृष्ठ [illegible]

दिनांक [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Registration No: 1995 Year: 2007 Book No: 1

0:01 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[redacted]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता :– [illegible]
[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

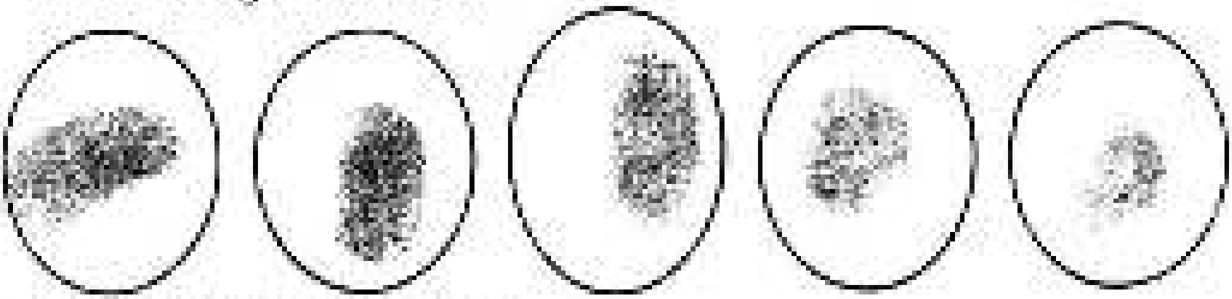

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

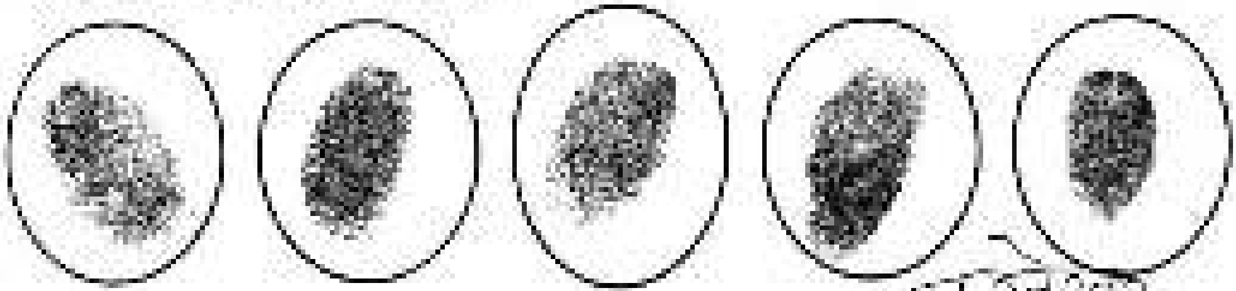

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता [illegible] के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता :– [illegible]
[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

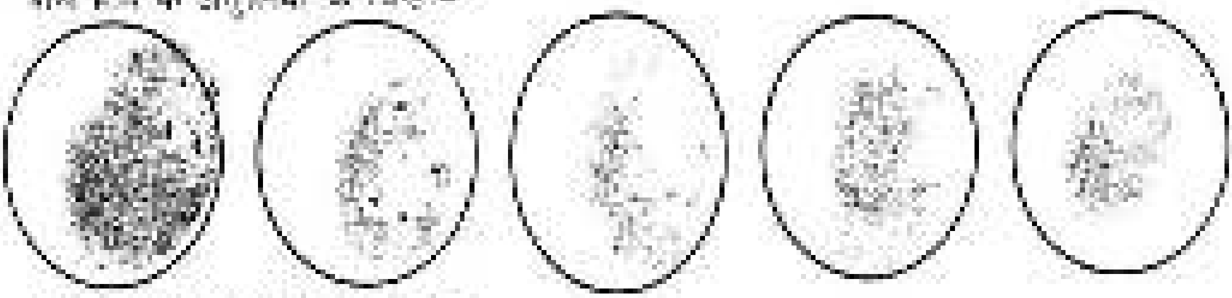

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

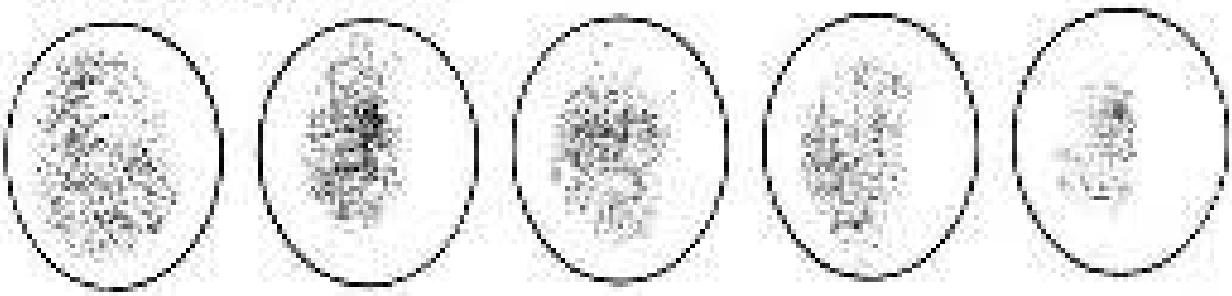

[illegible]

क्रेता / [illegible] के हस्ताक्षर

ক্রেতা

Registration No : 1593 Year : 2007 Book No : 1

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

नक्शा नजरी

ग्राम :

खसरा संख्या-

विक्रेता :

क्रेता :

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

आज दिनांक 28/02/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 8150

पृष्ठ सं 21 से 100 पर क्रमांक 1993

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के.के. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

28/2/2007